(d) what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA) : (a) Yes, Sir.

(b) All the persons registered with the Employment Exchanges are not necessarily umemployed.

(c) and (d) The main function of the Employment Exchange is to provide employment assistance and guidance to the job-seekers is genera ted as a by-product of the day-to- day working of the Employment Exchanges.

तस्करों के पीर पगाड़ों को कौन पछाड़ सकता है" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार

629. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 2 अप्रैल, 1986 के "जनसत्ता" में "तस्करी के पीर पगाड़ों को कौन पछाड़ सकता है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि "पीर पगाड़ों" की छत छाया में नशीले पदार्थों के तस्करों ने अपना एक माफिया गिरोह बना लिया है और कराची पाकिस्तान से जोधपुर में फलोदी तक इनका जाल बड़ा संगठित सुदृढ़ और खौफनाक है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित समाचार की ओर, जो दिनांक 2 अप्रैल, 1986 को "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किये गये अभिगृहणों से यह पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान की सम्पूर्ण सीमा, सीमा के आर-पार से तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है।

(ग) राजस्थान क्षेत्र सहित, संपूर्ण भारत-पाक सीमा पर तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी की प्रवृत्तियों और इस क्षेत्र से किये गये अभिगृहणों की सतत समीक्षा की जाती रहती है ताकि इस क्षेत्र में कार्य कर रही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सम्बन्धित प्रत्यवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ट तालमेल बैठा कर उपयुक्त उच्च स्तरीय कार्रवाई की जा सके। इस क्षेत्र में सरकार के तन्त्र को और जनशक्ति तथा उपस्कर लगा कर सुदृढ़ कर दिया गया है।

एक नया अधिनियम; अर्थात, स्वापक औषध-द्रव्य तथा मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 को, 14 नवम्बर, 1985 से लागू कर दिया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध-द्रव्यों के गैरकानूनी धन्धे सम्बन्धी अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

वर्ष, 1984, 1985 और 1986 (फरवरी तक) के दौरान, केन्द्रीय उ०शु० समाहर्तालय, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भारत-पाक सीमा के राजस्थान क्षेत्र से पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रूपयों में)
1984	132
1985	160 जमा 365 कि०ग्रा० हेरोइन
1986 (फरवरी तक)	22 जमा 309 कि०ग्रा० हेरोइन (वर्ष 1986 के आंकड़े अनन्तिम हैं)